FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मांडलगढ़

मांगीलाल बनाम नंदा रेगर

किस्म मुकदमा 212 RTA नं. 84 सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/8/17	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित जवाब प्रा.पत्र हेतु समय चाहते है पत्रावली वास्ते ... दिनांक 16/10/17 को पेश हो। जवाब प्रा.पत्र	
16/10/17	पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभि. वादी प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी अवकाश में पर है। पत्रावली वास्ते ज.प्रा. आयन्दा दिनांक 30/1/18 को पेश हो ! आज्ञा से रीडर उपखण्ड अधिक मांडलगढ़	
30/1/18	पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभि वादी प्रतिवादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ज.प्रा. दिनांक 24/5/18 को पेश हो ! आज्ञा से रीडर उपखण्ड अधिक मांडलगढ़	
29/6/2018	पत्रावली कैम्प मांडलगढ़ में पेश हुई अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। वकील विपक्षी 8/17 प्रा० उपस्थित। वकील विपक्षी ने जवाब नहीं देने से विपक्षी पत्र में लंबे समय से जवाब नहीं देने से विपक्षी का जवाब का अवसर बंद किया जाना प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी प्रा०पत्र के कलम सं. 2 में वर्णित विवादित आराजियात में विपक्षीगण को प्रार्थी के हक व कब्जा में दखलअंदाजी नहीं करने व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व ता… अहकाम ज… हुक्म की त… में जारी
	राजस्व रेकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश करावे। अत: मामला प्रार्थी के ४५ अन्तर्गत [illegible] से प्रार्थना पत्र के कलम नं० २ में वर्णित विवादित आराजियात में विपक्षीगण को इस आशय कि अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे काश्त के दखलंदाजी नहीं करेंगे एवं राजस्व रेकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़	

Scanned by CamScanner